न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 76/2018 अपील

1. श्रीमति नानीदेवी पुत्री स्व0 बरदा बलाई **बनाम** पत्नि मिठू बलाई, निवासी चावण्ड खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल निवासी ग्राम सिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व0 श्री बरदा बलाई पत्नि श्री भंवर लाल बलाई निवासी चावण्ड खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल निवासी ग्राम सिंगपुरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थीगण

1. श्रीमति चांदी पत्नि स्व0 बरदा बलाई निवासी निवासी चावण्ड खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2. श्री भज्जाराम पुत्र स्व0 श्री बरदा बलाई निवासी चावण्ड खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
3. श्री नारायण लाल पुत्र स्व0 श्री बरदा बलाई निवासी चावण्ड खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

– रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार रायपुर बमामले नामान्तरकरण सं. 796 दिनांक 25.08.1998

उपस्थित –
1. श्री प्रदीप व्यास अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.11.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार रायपुर के नामान्तरकरण सं. 796 निर्णय दिनांक 25.08.1998 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गलवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौखुन्दा, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा में अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्क्षीगण संख्या 2 व 3 के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति श्री बरदा जी के हक स्वामित्व एवं अधिकार की कृषि आराजियात संख्या– 912, 1020, 1206, 1207 व 1208 कुल किता 5 रकबा 3.16 हैक्टेयर होकर स्थित है। उक्त विवादित कृषि आराजियात अपील के अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की पैतृक कृषि आराजियात होकर उनके पिता बरदा जी के जीवन काल से ही उक्त आराजियात पर अपीलार्थीगण का अन्य पक्षकारों के साथ उनके अंश व हिस्से तक संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग करते आ रहे है।। इस कारण उक्त जायदाद सभी पक्षकारों की संयुक्त जायदाद होने से बरदा जी के बाद अपीलार्थीगण के पक्ष में भी नामान्तरण किया जाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर ने बिना तथ्यों की जांच परख किये ही

प्रत्यर्थीगण के पक्ष में नामान्तरण करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर ने बरदा जी के वारिसान की जांच व तहकीकात के लिये न तो ग्राम पंचायत की कोरम में नामान्तरण प्रकरण का रखा गया, न ही नामान्तरण को मजमे आम मे प्रस्तुत किया गया, और अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही गुपचुप तरीके से प्रत्यर्थीगण के नमा पर नामान्तरण आदेश पारित कर दिया। प्रत्यर्थीगण के नाम पर कृषि आराजियात के नामान्तरण की जानकारी होते ही अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.07.2018 को आवेदन दिया गया, जो दिनांक 19.07.2018 को प्राप्त हुआ, इस प्रकार यह अपील जानकारी होने व राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने से विहित परिसीमा अवधि मे प्रस्तुत है, फिर भी किसी तकनीकी त्रुटि से बचने के लिये धारा–5 परिसीमा अधिनियम के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है, जिसे स्वीकार किया जाकर जिसे स्वीकार किया जाकर दिनांक 25.08.1998 से दिनांक 16.08.2018 तक की अवधि को क्षम्य किया जाना उचित एवं आवश्यक है। निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 796 निर्णय दिनांक 25.08.1998 को अपास्त फरमाया जाकर राजस्व ग्राम गलवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौखुन्दा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा की कृषि आराजी संख्या 912, 1020, 1206, 1207 व 1208 कुल किता 5 कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर का नामान्तरण अपीलार्थीगण के भी नाम पर किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें अथवा विकल्प में प्रकरण अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विरासत के आधार पर नामान्तरण मजमे आम ग्राम पंचायत में खोले जाने के लिये प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 21.08.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से दिनांक 07.03.2019 को जवाब पेश किया गया।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही बहस मानते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 796 निर्णय दिनांक 25.08.1998 को अपास्त फरमाया जाकर राजस्व ग्राम गलवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौखुन्दा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा की कृषि आराजी संख्या 912, 1020, 1206, 1207 व 1208 कुल किता 5 कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर का नामान्तरण अपीलार्थीगण के भी नाम पर किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें अथवा विकल्प में प्रकरण अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विरासत के आधार पर नामान्तरण मजमे आम ग्राम पंचायत में खोले जाने के लिये प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावे।

प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी । जिसमे बताया कि

बरदा बलाई की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण की मौजूदगी में पूर्ण सहमति से पूरे परिवार की मौजूदगी में खोला गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में अगर सन् 2005 से पहले सहदायी की मृत्यु हो जाती हैं तो सहदायी लड़कियों को कोई अधिकार नहीं हैं। बरदा बलाई की मृत्यु सन् 1998 से पहले हो गयी, जिसकी विरासत का इंतकाल 25.08.1998 को खोला गया। अपीलाण्ट ने यह अपील 22 वर्ष बाद पेश की है जो बैरून मियाद होने से खारिज योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। प्रत्यर्थीगण ने अपील के खण्डन में विधिक दृष्टान्त सुप्रीम कोर्ट 2016(1)डब्ल्यू एल सी (एस सी) सिविल 30 प्रकाश एवं अन्य बनाम फुलवती व अन्य हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पेश किया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि राजस्व ग्राम गलवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौखुन्दा, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा की कृषि आराजी संख्या 912, 1020, 1206, 1207 व 1208 कुल किता 5 कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर का नामान्तरकरण बरदा बलाई के विरासतन सजरा अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 25. 08.1998 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात के पैतृक होने के संबंध में जोधा बलाई के नाम की जमाबन्दी भी प्रस्तुत नहीं की हैं। अपीलार्थी ने पैतृक सम्पति के हक व अधिकार के तथा विधि के विपरीत होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 796 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.1998 के विरूद्व अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी। पैतृक सम्पति के हक व अधिकार के संबंध में उभय पक्षकारान् से साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना होता हैं। इसके लिये अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दाद हासिल करना चाहिये। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं एवं म्यूटेशन अपील Summary Proceeding हैं, जिसके माध्यम से हक व अधिकार का निर्धारण नही किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार रायपुर के नामान्तरकरण सं. 796 निर्णय दिनांक 25.08.1998 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.11.14 16:46:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: